

प्रेस नोट दिनांक 02.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जू0डि0/जे0एम0) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद चन्दौली थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.04.1992 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बहादुर पुत्र अलगू तेली निवासी चतुर्भुजपुर थाना मुगसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 22/1992 धारा 379,411 भादवि थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार का० विपिन कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.08.2024 मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जू०डि०/जे०एम०) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.बहादुर पुत्र अलगू तेली निवासी चतुर्भुजपुर थाना मुगसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

प्रेस नोट दिनांक 02.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के दोषी 02 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी

अवधि व 4000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० चकिया चन्दौली) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद चन्दौली थाना नौगढ़ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 31.07.1990 को धारा 147,148,323,324,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.दुखन्ती पुत्र बच्चन निवासी देवखट थाना नौगढ़ जिला चन्दौली
2.सुदर्शन पुत्र बच्चन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 21ए/1990 धारा 147,148,323,324,504,506 भादवि थाना नौगढ़ में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना नौगढ़ के पैरोकार का० कोमल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.08.2024 मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० चकिया चन्दौली) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.दुखन्ती पुत्र बच्चन निवासी देवखट थाना

नौगढ जिला चन्दौली 2. सुदर्शन पुत्र बच्चन निवासी उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।